अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 9/2016- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 01/2011-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0116(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"75क	61, 62, 63 (6305, के अधीन आने वाले पटलित जूट थैले के सिवाय, 6309 00 00, 6310)	जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और खुदरा विक्रय कीमत (खु.वि.की.) 1000 रु0 और उससे अधिक है, के सभी माल";

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(के.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं.01/2011-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, में, सा.का.नि. 116(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.38/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 572(अ) तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।